e-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संचिका सं0– 01 / भू0अ0नि0(5)क्षे0आ0(संविदा)लखीसराय– 30 / 2022 8404 **पटना, दिनांक :–** 05/10/2023

आदेश

श्री शिवनाथ कुमार (SKN00794), विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के विरूद्ध प्रतिवेदन प्राप्त है कि दिनांक 17.08.2023 को भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पदाधिकारियों द्वारा बन्दोबस्त कार्यालय, लखीसराय के अन्तर्गत शिविर संख्या–रामगढ़ चौक 01 का विशेष सर्वेक्षण कार्यों के निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि दिनांक 17.08.2023 तक उक्त शिविर का अन्तिम प्रकाशित कुल मौजो की संख्या शून्य पाया गया है।

उक्त शिविर में आपसी रंजिश व विवाद का माहौल पाये जाने के साथ–साथ निरीक्षण टीम के समक्ष ही आरोप प्रत्यारोप व विवाद की स्थिति पायी गयी है।

शिविर स्तरीय समीक्षा के क्रम में प्रगति के ऑकड़े दिनांक 17.08.2023 तक जो पायी गयी वह निम्नवत् है :–

समीक्षा की तिथि	कुल मौजों की सं0	एल0पी0एम0 कुल मौजों की सं0	प्रारूप प्रकाशन कुल मौजों की सं0	अंतिम प्रकाशन कुल मौजों की सं0
दिनांक 20.04.2023	32	01	01	0
दिनांक 14.08.2023	32	01	01	0
प्रगति	–	0	0	0

उपरोक्त प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि इनके द्वारा विशेष सर्वेक्षण शिविर रामगढ़ चौक–1 के शिविर में चल रहे विशेष सर्वेक्षण कार्य की गहन समीक्षा की जा रही है और न ही कोई रूचि परिलक्षित हो रही है, जबकि इनका पदस्थापन लगभग तीन वर्षो से है, इसके बावजूद भी इनके शिविर का 01 प्रारूप प्रकाशन तथा अंतिम प्रकाशित राजस्व ग्राम की संख्या शून्य है जबकि इन्हें 16 राजस्व ग्राम आवंटित है।

दिनांक 11.04.2023 को आयोजित राज्य स्तरीय मासिक बैठक में अपर मुख्य सचिव द्वारा 101–2500 तक खेसरों वाले राजस्व ग्राम का प्रारूप प्रकाशन की तिथि 30.06.2023 निर्धारित की गई थी, परन्तु इनके द्वारा वरीय पदाधिकारियों के निदेश को भी गंभीरता से नहीं लिया गया है, जो इनके मनमाने रवैया का द्योतक है।

उपरोक्त के आलोक में श्री कुमार से निदेशालय पत्रांक–7009 दिनांक 14.09.2023 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग किया गया है। संबंधित द्वारा स्पष्टीकरण अपने निर्धारित समय के अंदर समर्पित किया गया है। प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री कुमार द्वारा अपने स्पष्टीकरण में ऐसा कोई तथ्य / प्रमाण समर्पित नहीं किया गया हो, जो इनके ऊपर लगे आरोप को निराधार साबित कर सके। इनके द्वारा स्पष्टीकरण में दिए गए तथ्य संतोषजनक / स्वीकार योग्य नहीं है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि वरीय पदाधिकारियों द्वारा दिये गये निदेश के बावजूद भी इनके द्वारा सर्वेक्षण कार्य में अभिरूचि नहीं लिया गया है, जो कि आदेशोल्लंघन, लापरवाही एवं अनुशासनहीनता के साथ–साथ स्वेच्छाचारिता का द्योतक है। इनके कृत्य का कुप्रभाव अन्य कर्मियों पर नहीं पड़ने तथा सर्वेक्षण कार्य में अनुशासन बनाये रखने के दृष्टिगत इनके संविदा नियोजन बनाये रखना उचित नहीं है।

अतः बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली 8 (4) के आलोक में **श्री शिवनाथ कुमार** (SKN00794), विशेष सर्वेक्षण कानूनगो का संविदा नियोजन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है।

(जय सिंह) 5/10/23
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

D:\Jyoti-2023\Bablu Sir\Order\Director\30-2022-04-10-2023.doc

ज्ञापांक– 01 / भू0अ0नि0(5)क्षे0आ0(संविदा)लखीसराय– 30 / 2022 8404 **पटना, दिनांक** :- 05/10/2023

प्रतिलिपि : बन्दोबस्त पदाधिकारी / सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक– 01 / भू0अ0नि0(5)क्षे0आ0(संविदा)लखीसराय– 30 / 2022 8404 **पटना, दिनांक** :- 05/10/2023

प्रतिलिपि : श्री शिवनाथ कुमार, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो (SKN00794), लखीसराय को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक– 01 / भू0अ0नि0(5)क्षे0आ0(संविदा)लखीसराय– 30 / 2022 8404 **पटना, दिनांक** 05/10/2023

प्रतिलिपि :– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय बिहार, पटना, को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि इसकी स्कैन कॉपी R2R साफ्टवेयर के अन्तर्गत संधारित उक्त कर्मी का व्यक्तिगत संचिका में भी अपलोड करें।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप